शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म

भोपाल. छोला थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी महिला के पति और भाई का दोस्त है. आरोप है कि उसने महिला को शादी करने और उसके बच्चों को भी साथ रखने का भरोसा दिलाया था. इसी भरोसे में उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब महिला ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया. इसके बाद पीड़िता ने छोला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.आरोपी पहले से शादीशुदा है और कारोबार करता है. फिलहाल वह फरार बताया जा रहा है.

रिटायरमेंट से पहले विवादों में घिरे डीजीपी

- **बिना मंजूरी हार्टफुलनेस से किया एमओयू**
- **गृह विभाग कराएगा समझौते की जांच, यात्रा भत्तों और सरकारी खर्चों की भी होगी पड़ताल**



विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 7 नवंबर. पुलिसकर्मियों को तनाव से राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम अब पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है.

आरोप है कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने शासन की पूर्व अनुमति के बिना हैदराबाद की संस्था हार्टफुलनेस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर लिया. मामला गृह विभाग तक पहुंचने के बाद अब इस समझौते की प्रशासनिक वैधता और इससे जुड़े खर्चों की जांच कराने की तैयारी है. खास बात यह है कि डीजीपी इसी महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

मामले की शुरुआत तब हुई, जब आईजी रुचिवर्धन मिश्रा ने हैदराबाद स्थित हार्टफुलनेस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए सरकारी अनुमति और दौरे का प्रस्ताव शासन को भेजा. गृह विभाग ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में जानकारी जुटाई तो फरवरी 2025 में पीएचक्यू और संस्था के बीच हुए एमओयू का पता चला. दस्तावेजों के मुताबिक, 2 फरवरी 2025 को डीजीपी कैलाश मकवाणा और संस्था के प्रमुख कमलेश डी. पटेल के बीच समझौता हुआ था. हालांकि, संबंधित फाइल में शासन की पूर्व स्वीकृति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.

गृह विभाग ने जब आनंद विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी तो विभाग ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने तथा ध्यान सत्र आयोजित करने के लिए पहले से व्यवस्था है. हार्टफुलनेस के अलावा ईशा फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं के साथ भी करार मौजूद हैं. ऐसे में पीएचक्यू को अलग से एमओयू करने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल उठ रहा है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	90489397 & 46777945	संपत्ति के बदले ऋण	28-Oct-2026	5,45,394.78/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1.ओमप्रकाश पतिराम 2. गीता ओम प्रकाश 3. राजेंद्र पतिराम

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 15/2 प्लॉट नंबर 15 का हिस्सा बी-ब्लॉक पर बना एक आवासीय घर, जो खसरा नंबर 143 और 146/1 वाली जमीन का हिस्सा है। प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 12.50 x 40 = 500 वर्ग फुट या 46.47 वर्ग मीटर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर का निर्मित क्षेत्र 350 वर्ग फुट या 32.53 वर्ग मीटर और फर्स्ट फ्लोर का निर्मित क्षेत्र 350 वर्ग फुट या 32.53 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति 'यूनियन कार्बाइड कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल' में स्थित है। इसका विवरण इस प्रकार है: गाँव - करोंद कलां, तहसील - हुजूर, ज़िला - भोपाल, मध्य प्रदेश - 462038। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में प्लॉट नंबर 05, उत्तर में प्लॉट नंबर 15 का हिस्सा, और दक्षिण में प्लॉट नंबर 16।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 08.11.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

पश्चिम मध्य रेल

सार्वजनिक सूचना

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 (एफ) (4) के तहत सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में ष्समपार फाटक संख्या 239 के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण परियोजना" हेतु तहसील गौहरगंज के ग्राम–उमरिया स्थित भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त परियोजना के संबंध में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20। (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 09.01.2026 तथा धारा 3(1) के अंतर्गत अर्जन की अंतिम घोषणा भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना संख्या 2065 दिनांक 29.04.2026 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित (Vest) हो चुकी है।

अतः रेलवे अधिनियम की धारा 20F की उपधारा (4) के वैधानिक अनुपालन में, इस भू–अर्जन से प्रभावित समस्त भूस्वामियों, अंशधारकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिग्रहित भूमि में अपने हितों, हिस्सेदारी, रकबे तथा उससे संबद्ध परिसंपत्तियों (मकान/कुआं/वृक्ष आदि) से संबंधित मुआवजे के दावे/आपत्तियां **दिनांक 30 नवंबर, 2026** तक आवश्यक राजस्व अभिलेखों (खसरा, बी–1, ऋण पुस्तिका), बैंक पासबुक की प्रति एवं निरस्त चेक (Cancelled Cheque) सहित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज, जिला रायसेन) में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। दावे निम्नलिखित सांकेतिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

गांव का नाम	भूस्वामी/इच्छुक व्यक्ति का नाम	खसरा/सर्वे संख्या	भूमि में उसके हिस्से का क्षेत्रफल	भूमि से जुड़ी संरचना/पेड़/ट्यूबवेल आदि	बैंक का नाम, शाखा कोड, IFSC कोड	बैंक खाता

अनूसूची

मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 239 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने की संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : रायसेन, **तहसील** : गौहरगंज, उपखण्ड–ओबेदुल्लागंज, **ग्राम** : उमरिया, **प.ह.न.**–25

क्रं. सं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकवा	अर्जित रकवा	सिंचित असिंचित	भूमि का प्रकार
1.	करन कोठारी पुत्र संजय कोठारी	80/2/1/1	1.8175	0.0354	सिंचित	कृषि
2.	करन कोठारी पिता संजय कोठारी	80/2/1/2	0.2025	0.0503	सिंचित	व्यपवर्तित
3.	श्रीमति रेणुका मिश्रा पत्नी राकेश कुमार मिश्रा	80/1/2/4/2/1/2	0.0440	0.0278	सिंचित	व्यपवर्तित
4.	श्रीमति रेणुका मिश्रा पत्नी राकेश कुमार मिश्रा	80/1/2/4/2/1/3	0.0380	0.0207	सिंचित	व्यपवर्तित
5.	राजेश गुप्ता पिता केलाश नाथ गुप्ता	80/1/2/4/2/1/4	0.0360	0.0189	सिंचित	व्यपवर्तित
6.	सुभाष चंद्र गुप्ता पिता राम अवतार गुप्ता	80/1/2/4/2/1/5	0.0480	0.0211	सिंचित	व्यपवर्तित
7.	हरिशचंद्र गुप्ता पिता राम औतार गुप्ता	80/1/2/4/2/1/6	0.0480	0.0146	सिंचित	व्यपवर्तित
8.	सुश्री निहारिका गुप्ता पुत्री हरिशचंद्र गुप्ता	80/1/2/4/2/1/7	0.0380	0.0077	सिंचित	व्यपवर्तित
9.	राजा भेलसेवाले पिता यशवंत राव भेलसेवाले	80/1/2/4/2/1/8	0.0760	0.0032	सिंचित	कृषि
10.	हरिशचंद्र गुप्ता पिता राम औतार गुप्ता	80/1/2/4/2/1/9	0.0640	0.0587	सिंचित	व्यपवर्तित
11.	अभिमन्यु कोठारी पुत्र अनुराग कोठारी	80/1/2/4/2/1/1	0.5630	0.0516	सिंचित	कृषि
12.	अनुराग कोठारी पिता सुरेन्द्र प्रताप कोठारी	80/1/2/4/2/2/1/1	0.1050	0.0461	सिंचित	कृषि
13.	दीपक चौकसे पिता ओमकार प्रसाद चौकसे हिस्सा–1/2, रीतु चौकसे पत्नी दीपक चौकसे हिस्सा–1/2	80/1/2/4/2/2/3	0.1250	0.0010	सिंचित	व्यपवर्तित
14.	दीपक चौकसे पिता ओमकार प्रसाद चौकसे	80/1/2/4/2/2/1/2	0.1020	0.0606	सिंचित	व्यपवर्तित
15.	लखविन्दर सिंह पिता रवेल सिंह 153/843, रेखा मालवीय पत्नी नरेन्द्र मालवीय–120/843, देवेन्द्र कुमार उर्फ दिनेश पिता रमेश –42/843, कविता पत्नी देवेन्द्र कुमार उर्फ दिनेश–42/843, महेश चौरसिया पिता फूलचंद चौरसिया साधना चौरसिया पत्नी महेश चौरसिया – 84/843, हरजीत कौर पत्नी अर्जुन सिंग, दिव्या मंगल पत्नी अर्पित 290/843 अग्रपाल–56/843,दिव्या मंगल पत्नी अर्पित अग्रपाल 56/843	80/1/2/4/1/1/2	0.0843	0.0114	सिंचित	पूर्त (आवासीय)
16.	वरिंद्र रघुवंशी पिता तुलसीराम रघुवंशी जाति रघुवंशी–हिस्सा, 1/3, मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी पिता आजिजुर रहमान – हिस्सा 2/3	80/1/2/4/1/1/1	0.0167	0.0166	सिंचित	आवासीय
17.	सुभाष चंद्र गुप्ता पिता राम अवतार गुप्ता	80/1/2/4/2/1/10	0.0720	0.0060	सिंचित	व्यपवर्तित
18.	सुश्री निहारिका गुप्ता पुत्री हरिशचंद्र गुप्ता– जाती, गुप्ता	80/1/2/4/2/1/12	0.1380	0.0161	सिंचित	व्यपवर्तित
19.	सरफराज बेगम पत्नी एम ए रेहमान पुत्री शमशुद्दीन	80/1/2/3	0.4050	0.0178	सिंचित	कृषि
	कुल योग –		4.023 हेक्ट	0.4856 हेक्ट		

(हस्ता.)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, जिला रायसेन

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

40 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, कांच तोड़कर बाहर निकले चार युवक

भोपाल. ईंटखेड़ी इलाके के निपानिया जाट गांव में शनिवार को एक कार अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरी. कार में चार युवक सवार थे. कुएं में गिरने के बाद कार पानी में डूबने लगी तो युवकों ने उसके कांच तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया. चारों को तैरना आता था, जिससे उनकी जान बच गई.

जानकारी के मुताबिक, कार में प्रेम सिंह लोधी, ज्ञान सिंह लोधी सहित चार युवक सवार थे. हादसे के बाद सभी युवक पानी में तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. घटना देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और युवकों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

14 जुआरी गिरफ्तार 32 हजार बरामद

भोपाल. टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र के इंद्रानगर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने मौके से 32 हजार 770 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में अंसार खान, सोहेल खान, दिलशाद शाह, परवेज खान, साजिद खान, शेख मसरूर, फैजान अली, राजेंद्र सिंह, नाजिम खान, मो. तंजीम, महादेव विश्वकर्मा, सुरेश कुमार चौरसिया, अब्दुल अहमद और हमीद खान शामिल हैं. पूछताछ में आरोपी सोहेल खान ने बताया कि वह शकील के किराये के मकान में रहता है. मकान अज्जू उर्फ शहजाद के ससुर का है. अज्जू ने उससे कहा था कि कुछ लोगों को जुआ खेलने के लिए कमरे में भेजेगा. इसके बदले उसे एक हजार रुपए कमीशन देने का वादा किया था.

बुजुर्ग की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर

भोपाल. शाहजहांनाबाद इलाके में 62 वर्षीय महिला कलरी देवी के हत्याकांड के आरोपी वारदात के 50 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. शार्ट पीएम रिपोर्ट शनिवार को आई, जिसमें कलरी देवी के शरीर के कई हिस्सों पर चोटो के निशान होने की जानकारी सामने आई है. वहीं इस हत्याकांड में आरोपियों के विरोध में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाले मार्ग को करीब 45 मिनट तक बंद किया गया. इस दौरान यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई. पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने प्रदर्शन बंद कर अंतिम संस्कार किया.

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन

छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
(online) निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र.1 1924 — उज्जैन दिनांक :- 5/11/2028

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गवर्मेंट व सिरियल क्र. 1 का टेण्डर फार्म मूल्य 12500/- रहेगा । सिरियल क्र. 1 आनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 20.11.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 20.11.2026 समय 17:30 रहेगी। निविदा की बिड दिनांक 23.11.2026 को समय 11:00 बजे खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा ने किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी । पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्र	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.	अर्नेस्टमनी रू.	समय अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UAD_525658_1	वार्ड क्र. 10 श्री क्षेत्र वाल्मिकीधाम आश्रम उज्जैन में डोम निर्माण कार्य ।	1,4401,126/-	UADD ISSR SOR 02-08-2021	72100/-	365 दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन



